




न्यायालय लोक अदालत, दुमका

क्रि०मी०/आवेदन पत्र वाद सं०...../59/2012

अजय केशरी बनाम मनोज केशरी

श की सं० और ख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
9/18	<p align="center">आदेश</p> <p>अभिलेख लोक अदालत में उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष न्यायालय में कई तिथि से लगातार अनुपस्थित है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष की इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है।</p> <p>अतः अभिरुचि के अभाव में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। अभिलेख संबंधित न्यायालय को वापस करें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  सदस्य संख्या-1 लोक अदालत दुमका </div> <div style="text-align: center;">  सदस्य संख्या-2 लोक अदालत दुमका </div> <div style="text-align: center;">  सदस्य संख्या-3 लोक अदालत दुमका </div> </div>	